Committee on his life and contribution to the Constitution. They approached us and the hon. Speaker to film it in the Central Hall of Parliament as well as to film a portion of our Chamber because Baba Saheb Ambedkar had never been a Member of the Lok Sabha. He was a Member of the Constituent Assembly as well as of the Rajya Sabha. The then hon. Chairman, who is the President now, asked me to look into this matter. He asked me to discuss this matter with them. I have taken a decision that for one time only, considering the importance of his contribution to the Constitution and the value of the film which will depict how the Constitution was drafted, how it was argued at various points of time how every idea was put together in the sacred book by which all of us take oath, this film can either be taken here and the Chamber could be photographed, or they could be allowed to have a special stage or set only for one time. I have allowed it for one time only because we never allow any thing for any other leader. This is allowd only for one time out of our respect for Baba Saheb Ambedkar and the Constutition of India.

[उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी) पीठासीन हुए]

RE: GOVERNMENT'S FAILURE TO HANDLE FERA VIOLATION CASES

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश में फेरा उल्लंघन के बढ़ रहे मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मामले बढ़ रहे हैं और इन मामलों के निपटारे में सरकार फेल हो रही है। ये बहुत सारे मामले हैं। मैं 2 मामलों का जिक्र करना चाहता हूं और एक मामले की डिटेल में जाना चाहता हूं। महोदय, इनमें एक तो आई०टी०सी० का मामला था और दूसरा टाईम्स आॅफ इंडिया और बैनेट ऐंड कोलमैन के मालिक अशोक जैन का मामला था। महोदय, सच क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महोदय, प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है और वे छानबीन नहीं कर पा रहे हैं। जब कि अशोक जैन का कहना है कि उनके विरोधी प्रवर्तन निदेशालय के जरिए उनसे बदला लेना चाह रहे हैं। महोदय, मुझे सच जानना है।

महोदय, मैं आपको यह बताते हुए खुश हूं कि मैंने 17 दिसंबर, 1996 को अशोक जैन से जुड़ा हुआ मुद्दा इस सदन में उठाया था। मेरा एक स्टार्ड क्वेश्चन आया था और मैंने वित्त मंत्री महोदय से 17 दिसंबर, 1996 को पूछा था कि क्या कोई फेरा वॉयोलेशन कसे अशोक जैन के खिलाफ लंबित है? अगर लंबित है तो क्या छानबीन की जा रही है? महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि यह मैटर सब-जुडिस है, इसलिए छानबीन रोक दी गई है, जब कि सच यह था कि 8 अक्टूबर, 1996 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्णय सुना दिया था कि यह मामला अब सब-जुडिस नहीं है और इसकी छानबीन सी०बी०आई० जैसी एजेंसी के थ्रू होनी चाहिये। महोदय, यह 17 दिसंबर, 1996 का सवाल था और 4 जनवरी, 1997 को मैंने एक अखबार में पढ़ा कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने श्री अशोक जैन के घर पर छापा मारा और उनसे पूछताछ की। मैंने वित्त मंत्री को खत लिखा कि या तो आप गलत हैं या प्रवर्तन निदेशालय गलत है। अगर मैटर सब-जुडिस है तो छानबीन क्यों हुई? अगर मैटर सब-जुडिस नहीं है तो आपने सदन को गुमराह क्यों किया? वित्त मंत्री का कोई जवाब नहीं आया। इस बीच श्री अशोक जैन विदेश चले गए बीमारी के बहाने। हमारे यहां अक्सर लोग बीमारी के बहाने छानबीन से बचते रहते हैं। यह सत्य है। मैंने फिर चिट्ठी लिखी वित्त मंत्री को और पूछा कि क्या ऐसे तमाम अभियुक्तों को विदेश जाने दिया जाता है? क्या यह सुविधा तमाम फेरा अभियुक्तों को मिलेगी या मिलती रही है? मैंने पूछा कि अगर ऐसा है तो बाकी लोगों के पासपोर्ट क्यों ज़ब्त किए जाते रहे हैं? वित्त मंत्री का जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनके खिलाफ एक प्रिविलेज नोटिस दिया। उसका जवाब आया और उन्होंने मुझे बताया कि हम इस मामले की छानबीन करेंगे। उसमे उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा में इसका जवाब दिया है (समय की घंटी) । महोदय, मुझे थोड़ा विस्तार से बोलने का मौका दिया जाए...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): जीरो आॅवर सबमिशन में विस्तार से नहीं बोलते, केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बोला जाता है। आप संक्षेप में बोलिए।

श्री संजय निरूपम: मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। वित्त मंत्री ने मुझे बताया कि 19 दिसंबर, 1996 को प्रवर्तन निदेशालय को कलकत्ता हाईकोर्ट के वर्डिक्ट की आॅथैंटिकेटेड कॉपी मिली। जब कि 23 दिसंबर, 1996 को

पत्र लिखकर वित्त मंत्री महोदय ने मुझे बताया कि मैटर सब-जुडिस है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वित्त मंत्री की नीयत क्या है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री की नीयत पर मुझे शक हो रहा है...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): ये डिटेल्स आप जीरो आॅवर में नहीं रख सकते।

श्री संजय निरूपम: मैं खत्म कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने प्रवर्तन निदेशालय को पर्सनल नोट भेजा और कहा कि श्री अशोक जैन के इशू को मैं देखना चाहता हूं और डे-टु-डे रिपोर्ट मुझे दी जाए।

महोदय, मेरे 5 सवाल हैं। क्या श्री अशोक जैन के मामले की छानबीन पूरी हो गई है? अगर नहीं हुई तो ताजा स्थिति क्या है? दूसरा सवाल यह है कि इंटेरोगेशन कहां तक पहुंचा और कितनी बार हुआ? तीसरा सवाल यह है कि श्री अशोक जैन कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं होते? आखिर कौन उनको बचा रहा है? ऐसी कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो उनको बचा रही हैं? महोदय, मेरा चौथा सवाल है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप अपने सारे पासपोर्ट सरंडर कीजिए। आज तक उस आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? मेरा सवाल यह भी है कि अशोक जैन के पास कितने पासपोर्ट हैं? क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा पासपोर्ट रख सकता है, इसकी छानबीन होनी चाहिये। महोदय, मेरा पांचवां सवाल यह है कि आज तक अशोक जैन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। महोदय, ऐसी जो अदृश्य ताकतें हैं वह सरकार में भी हैं और सरकार के बाहर भी हैं। ...(व्यवधान) महोदय, अहलुवालिया जी को बड़ी नाराजगी हो रही है।...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (बिहार): नाराजगी इसलिए हो रही है कोई मेंबर ऐसे सवाल पूछे कि कितने पासपोर्ट हैं। एक आदमी के पास जो पुराना पासपोर्ट हो जाता है तो वह खुद रख लेता है।...(व्यवधान) अगर किसी व्यक्ति की उमर 70 साल है और 20 साल से पासपोर्ट अगर उसके पास है तो वह उसके पास तो होंगे ही।...(व्यवधान)

श्री संजय निरूपम: तो यह बात सामने क्यों नहीं आ रही है।...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री अजीत जोगी): आप कृपया समाप्त करें। जीरो आॅवर सब्मिशन इतना लम्बा नहीं हो सकता। अभी 20 लोगों को और बोलना है।

श्री संजय निरूपम: मेरा सवाल यह है कि यदि अशोक जैन का यह कहना है कि उनसे राजनीतिक तौर पर बदला लिया जा रहा है, तो यह बताया जाए कि कलकत्ता हाई कोर्ट का 8 अक्तूबर का फैसला क्या राजनीतिक तौर पर लिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है क्या वह राजनीतिक बदला है। महोदय, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दबाया जा रहा है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। मुझे इतना ही कहना है कि पूरे मामले की छानबीन मे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार और कांग्रेस की मिलीभगत है और अगर इसी तरह से फेरा वाॅयलेशन के केसेज दबाए जाते रहे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ेगी। धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, maybe, for the first time, I find myself in total unanimity with my young friend. The position in the country is that there are some people who are more than equal. There are people who are enjoying privileges, there are people who are being patronised because either they are related to or known to, or connected with, some important people who are occupying important positions in the corridors of power. I do not want to go into the details. But there is a strong apprehension that a person, against whom there are serious charges of FERA violation, is sought to be protected by people occupying high positions in the Government. I am pointing out this because it is for the first time that such a thing has happened. The House should take cognizance of it. For the first time, intelligence officers were sent to interrogate, search and look into the papers of the Enforcement Directorate. One department of the Government is being let loose against another department of the Government. Why is it so? There is a strong suspicion to believe that intelligence officers were sent to the Enforcement Directorate in the beginning of July, maybe, on 17th or 19th, to pick up papers so that positive proof of violation pending against Mr. Jain in a court of law may be taken care of. This is a serious charge. This is a serious charge because people who have been lawyers of Mr. Ashok Jain are now in the Government.

This is a very serious charge. Somebody who has been holding his brief in a court of law may now be protecting him because he is now enjoying a special position in the corridors of power. Mrs. Natarajan is here, my good friend, Mr. Reddy is here fighting for honest causes. They should not fail to discharge their duties only because they have changed their positions in this House. Since they are Ministers, they should not...*(Interruptions)*...

SHRI JOHN F. FERNANDES (GOA): Mishraji is here.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Of course, I agree. I stand corrected. I feel, Members, in the Opposition, who have been fighting for certain norms and propriety, should not forget their earlier commitments because they are occupying some position in the Government now.

In the case of Ashok Jain, the search that was conducted by the Intelligence Bureau in the office of the Enforcement Directorate is unprecedented. It is unprecedented. If such things are done, the investigating officers would lose their courage; they would lose their honesty.

This would only be a signal asking them to fall in line with the wishes of their masters. If they also fall in line with the wishes of their masters at the centre of power, there would be nothing which is known as propriety; there would be nothing which is known as law and order in our country. Therefore, I demand...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Thank you.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Therefore, I demand that Mrs. Jayanthi Natarajan may kindly take note of it and she should assure the House that she would convey our deep sense of anguish at the way the Ashok Jain's case is being handled.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): Shri Shatrughan Sinha.

RE. ABSENCE OF CRITERIA FOR DISTRIBUTION OF FUNDS TO DIFFERENT AGENCIES FOR PRODUCTION OF FILMS IN CONNECTION WITH GOLDEN JUBILEE OF INDEPENDENCE

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (बिहार): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आजादी की पचासवीं सालगिरह का जश्न इस साल मनाया जा रहा है, जिस तरह से कुबेर के खजाने की तरह धन लुटाया जा रहा है, जिस तरह से धन का दुरूपयोग हो रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि सरकार रातों-रात बहुत अमीर हो गयी है। हालांकि आंकड़े कुछ और हैं, आंकड़े आपको पता हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा कि अभी भी देश की एक तिहाई जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। अगर पंजाब में 12 परसेंट जनता गरीबी की रेखा के नीचे है तो बिहार में 50 परसेंट से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। ह्यूमैन डैवलपमेंट इंडैक्स — मानव विकास सूचकांक यू० एन० ओ० से प्रकाशित — आजादी की पचासवीं सालगिरह जब हम मना रहे हैं उसमें दिया है कि हिन्दुस्तान का नम्बर 20—40—50—60—100 देशों में नहीं है बल्कि 135वां नम्बर है और उसका आधार होता है पर-कैपिटा इनकम, हैल्थ और ऐजूकेशन। अब मैं मुख्य मुद्दे की ओर आता हूं। भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों में बहुत आर्थिक खर्चा हो रहा है, जश्न मनाने की कोशिश की जा रही है। मैं आभारी हूं कि इस वक्त बहुत अच्छे और बहुत अच्छी छवि के हमारे मंत्री रेड्डी साहब सामने मोजूद हैं और मुझे यह कहने का मौका मिला है। उम्मीद करता हूं कि आप और आपकी सरकार इस पर गौर करेगी। जिस तरह से दूरदर्शन ने, मिनिस्टरी ऑफ इनफार्मेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिंग ने चंद लोगों को जो या तो सरकारी लोग हैं या सरकार के पसंदीदा लोग हैं, अथवा मंत्री के पसंदीदा हैं, इन पर नहीं कहता हूं क्योंकि यह तो अभी-अभी आए हैं, कि एक-एक करोड़ रुपये की राशि पांच व्यक्तियों को चुन कर जिसमें सईद मिर्जा हैं, गिरीश कर्नाड हैं, श्याम बेनेगल हैं, भूपेन हजारिका भी हैं और एक और महोदय बुद्देव दास गुप्ता जी हैं, इन लोगों को दी है। मैं इस पर ऐतराज नहीं कर रहा हूं, यह सारे गुणी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। सवाल यह उठता है कि एक-एक करोड़ रुपये की राशि इनको दी गयी है, यह पचास साल की उपलब्धियों के ऊपर है और टेली सीरियल बनाने की लिए दी गयी है। आधे घंटे की फिल्म के लिए एक-एक करोड़ रुपये दिये गये हैं। अब दो-तीन सवाल उठते हैं। 16 प्रान्तीय, क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाने के लिए 16 रीजनल सैंटर्स को एक-एक